सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी, जिला अजमेर

राजस्व वाद पत्र स0 49/2018

1. महावीर पुत्र भुवाना
2. हजारी पुत्र भुवाना
3. हीरा पुत्र भुवाना

समस्त जाति कुमावत निवासीगण रामथला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

---वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर

----प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधि.

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

निर्णय

दिनांक 14.5.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प पारा में पेश हुई। वादीगण /प्रतिवादी उपस्थित । उपस्थित पक्षकारान को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88,209 राज. काश्त. अधि. **सपठित धारा 136 राज**. भू–राजस्व अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम कोहडा तहसील केकडी की** जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 204 में दर्ज में खसरा नम्बर 1705/1394 रकबा 1.44 वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात के पुराने खसरा नम्बर 642 मि. रकबा 22–16–00 है। उक्त रकबे में से वादीगण ने 9 बीघा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की। खरीद के समय से ही वादी वर्णित आराजीयात पर निरन्तर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वाद वर्णित आराजीयात में वादीगण का जरिये विक्रयपत्र के नामा. संख्या 55 दिनांक 08.10.1997 से तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण अमल जमाबन्दी करते समय राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारियों ने वादीगण के पिता का नाम महावीर,हजारी,हीरा पि. भुवाना के स्थान पर महावीर, हजारी, हीरा पि. भुवाला का अंकन कर दिया जो कि गलत है। जिसे दुरूस्त करवाकर महावीर, हजारी, हीरा पि. भुवाला के स्थान पर महावीर,हजारी,हीरा पि. भुवाना किये जाने हेतु वादीगण द्वारा यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जावे।

हमने प्रार्थी के दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । वादी 1 व 2 उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार सावर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पेरोकार सरकार के जवाब अनुसार वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.06.1997 से वादग्रस्त आराजी क्रय की गई जिसमें वादीगण के पिता का नाम भुवाना है किन्तु सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में महावीर, हजारी, हीरा पि. भुवाला कौम कुमावत दर्ज हो गया है। विक्रयपत्र के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में महावीर, हजारी, हीरा पि. भुवाला के स्थान पर महावीर, हजारी, हीरा पि. भुवाना किया जाना उचित है। अतः वादपत्र स्वीकार फरमाया जावे।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का पारा की रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि **ग्राम कोहडा तहसील केकडी की** जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 204 में दर्ज में खसरा नम्बर 1705/1394 रकबा 1.44 में महावीर, हजारी, हीरा पि. भुवाला के स्थान पर महावीर, हजारी, हीरा पि. भुवाना अंकन किये जाने की स्वीकृति दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 14.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प पारा में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो। निर्णय शामिल पत्रावली किया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी